Assembly Question No. 146

To Conduct Survey for BPL Cards

146. **Shri Parmod Kumar Vij, MLA: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state:-**

a) Whether there is any proposal under consideration of the Government to conduct survey for Ration Cards (BPL) in future; if so, the criteria in this regard; if not, the time by which the survey is likely to be conducted;

b) The time and the year in which the survey for BPL, OPH and AAY categories was conducted by the Government in State;

c) Whether the name of a person of another family can be included in the ration card of a family; if so, the procedure thereof; if not, the number of ration cards in which such addition of names of persons other than family members reported in Panipat City togetherwith the numbers of complaints received in the said matter by the department alongwith the action taken against the erring persons;

d) Whether name of any member related to family concerned be excluded from the ration card without conducting any inquiry; if so,

the process thereof togetherwith the number of ration cards from which the names of the family members have been excluded without conducting any survey in Panipat City during the last few days;

e) the total number of card holders in Panipat City Assembly Constituency togetherwith the category wise number of (BPL, OPH, AAY) ration card holders; and

f) The time by which the depots suspended due to irregularities on the complaint of Public representatives and the common people during the lockdown are likely to be cancelled;

Answer: Dushyant Chautala, Deputy Chief Minister, Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department, Haryana

a) Sir. The Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department does not conduct any survey for BPL and the work of inclusion/exclusion in BPL list is a continuous and ongoing process on the basis of survey conducted by Rural Development Department and Urban Development Department for rural and urban areas respectively.

b) The last survey for BPL was conducted in year 2007. Thereafter, the Government has used the Socio Economic Caste Census-2011 (SECC-2011) lists for inclusion of names in BPL list. And now the online applications are received on continuous basis which are verified on the basis of poverty line list and SECC data. So far as Other Priority Households (OPHs) survey is concerned, this survey was conducted in the year 2013 while implementing the National Food Security Act, 2013.

c) The name of a person of another family cannot be included in the ration card of a family. A complaint in this regard was received in Panipat and investigation is being carried out by district police.

Appropriate action will be taken against the erring persons after receipt of inquiry report.

d) Name of any member related to family concerned cannot be excluded from the ration card without conducting any inquiry. The concerned Inspector/Incharge conducts verification on an application made by the applicant and further necessary action is taken accordingly. No name of family members has been excluded in Panipat City without conducting any verification.

e) The total number of ration cards in Panipat City Assembly Constituency category wise is as under:-

AAY	BPL	OPH	Total
2293	16530	51098	69,921

f) During the lockdown, in Panipat the supplies of 35 depot holders have been suspended, the licenses of 10 depot holders have been cancelled and 7 FIRs have been lodged. The decision regarding suspended depot holders will be taken after completion of inquiry.

::::::::

विधानसभा प्रश्न संख्या नं0 146
बी0पी0एल0 कार्डो के लिए सर्वे करना

146. श्री प्रमोद कुमार विज, एम0एल0ए0: क्या उप मुख्यमंत्री कृप्या बताएंगे कि-

(क) क्या भविष्य में राशन कार्ड (बी0पी0एल0) के लिए सर्वेक्षण करवाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो इसके क्या मापदंड है; यदि नहीं, तो सर्वेक्षण कब तक करवाए जाने की संभावना है;

(ख) राज्य में सरकार द्वारा बी0पी0एल0, ओ0पी0एच0 तथा ए0ए0वाई0 श्रेणियों का सर्वेक्षण किस समय तथा किस वर्ष में करवाया गया था;

(ग) क्या किसी अन्य परिवार के व्यक्ति का नाम किसी परिवार के राशन कार्ड में सम्मिलित हो सकता है; यदि हां, तो उसकी प्रक्रिया क्या है; यदि नही, तो पानीपत शहर में कितने राशन कार्डो में परिवारों के सदस्यों से अतिरिक्त व्यक्तियों के नाम पाए गए तथा विभाग को उक्त मामले में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई तथा दोषी व्यक्तियों के विरूद्व क्या कार्यवाही की गई;

(घ) क्या किसी संबन्धित परिवार के सदस्य का नाम बिना किसी जांच के राशन कार्ड से निकाला जा सकता है; यदि हां, तो उसकी प्रक्रिया क्या है तथा गत् कुछ दिनों के दौरान पानीपत शहर में बिना कोई सर्वेक्षण करवाए कितने राशन कार्डो में से परिवारिक सदस्यों के नाम हटाए गए;

(ड) पानीपत शहर विधान सभी निर्वाचन क्षेत्र में कुल कितने कार्ड धारक है तथा राशन कार्ड धारकों (बी0पी0एल0, ओ0पी0एच0, ए0ए0वाई0) की श्रेणीवार संख्या कितनी है; तथा

(च) लाकडाउन के दौरान अनियमितताओं के कारण जन प्रतिनिधियों तथा सामान्य लोगों की शिकायतों पर निलंबित किए गए डिपुओं को कब तक निरस्त किए जाने की संभावना है?

उत्तरः दुष्यंत चौटाला, उप मुख्यमंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें विभाग, हरियाणा।

(क) श्रीमान जी। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें विभाग बी0पी0एल0 का कोई सर्वे नही करता है और ग्रामीण विकास विभाग तथा शहरी विकास विभाग द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार पर बी0पी0एल0 सूची में नाम शामिल करना/काटना एक निरंतर एवं चल रही प्रकिया है।

(ख) बी0पी0एल0 के लिए अन्तिम सर्वे वर्ष 2007 में किया गया था। इसके उपरांत सरकार द्वारा सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना-2011 की सूची बीपीएल सूची में नाम शामिल करने के लिए उपयोग की गई। और अब निरंतर ऑनलाईन आवेदन प्राप्त हो रहे है जो कि गरीबी रेखा की सूची और सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना-2011 (SECC-2011) डाटा के आधार पर सत्यापित किए जा रहे हैं। जहां तक अन्त्र प्राथमिक परिवारों के सर्वे का सम्बन्ध है, यह सर्वे वर्ष 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 लागू करते समय किया गया था।

(ग) किसी अन्य परिवार के व्यक्ति का नाम किसी परिवार के राशनकार्ड में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में एक शिकायत पानीपत में प्राप्त हुई थी जिसकी जांच जिला पुलिस द्वारा पहले ही की जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर दोषियों के विरूद्ध उपयुक्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

(घ) किसी सम्बन्धित परिवार के सदस्य का नाम बिना किसी जांच के राशनकार्ड से नही निकाला जा सकता। आवेदक द्वारा किए गए आवेदन उपरांत सम्बन्धित निरीक्षक/इंचार्ज द्वारा जांच करते हुए आवेदन पर कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अब तक किसी भी सदस्य का नाम बिना किसी जांच के नही निकाला गया है।

(ड) पानीपत शहर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में श्रेणीवार राशन कार्डो की कुल संख्या निम्न प्रकार से है:-

ए0ए0वाई0	बी0पी0एल0	ओ0पी0एच0	कुल
2293	16,530	51,098	69,921

(च) लॉकडाउन के दौरान पानीपत में 35 डिपुधारकों की सप्लाई निलम्बित, 10 डिपुधारकों के लाईसैंस रद्द तथा 7 एफ0आई0आर0 दर्ज की गई है। निलंबित डिपुधारकों के बारे में निर्णय जांच पूरी होने के बाद लिया जाएगा।